



Neutral Citation No. - 2026:AHC:3513

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 45 वर्ष 2026

मो. वासित आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : पवन कुमार शुक्ला

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री आर.पी. पटेल, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 807 वर्ष 2025, धाराओं 103(1), 126(2), 351(3), 3(5), 324(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त अभिषेक सैनी उर्फ शुभम को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.11.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 40143 वर्ष 2025 में पारित आदेश के द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि आवेदक की भूमिका उस सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः वह भी समानता के आधार पर जमानत पाने का अधिकारी है। आवेदक दिनांक 30.8.2025 से जेल में बंद है। आवेदक का आपराधिक इतिहास जमानत आवेदन के साथ संलग्न शपथपत्र के प्रस्तर 19 में स्पष्ट किया गया है।
5. विद्वान राज्य विधि अधिकारी द्वारा जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया गया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समानता के उक्त तथ्यात्मक पहलुओं का उनके द्वारा खंडन नहीं किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 एससीसी 648** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।
7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नभान खाँ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938** में पारित निर्णय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पारस राम विष्णोई बनाम निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021** तथा **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पारित निर्णयों के प्रकाश में विचार करते हुए, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर स्वीकार किया जाता है।
8. उक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त आवेदक मो. वासित को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका एवं दो भारी जमानतदारों द्वारा समान राशि में जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।
 - (i) आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक विचारण न्यायालय में (1) मामले के प्रारंभ, (2) आरोप-निर्धारण तथा (3) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने की निर्धारित तारीखों पर स्वयं उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर की गई हो अथवा पर्याप्त कारण के बिना हो, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करना खुला होगा।
9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।
10. आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, हैसियत तथा निवास का प्रमाण-पत्र मुचलके स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की साक्ष्य पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

शालिनी

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।